प्रेषक,

अशोक कुमार दुबे–II,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0–द्वितीय, देवरिया।

सेवा में,

माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति, देवरिया (वर्ष 2021–22)
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश महोदय,
देवरिया।

विषय– वर्ष 2021–22 में जनपद न्यायाधीश, देवरिया के द्वारा दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के उन्नयन (upgrade) हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन के संबंध में।

मा0 न्यायमूर्ति महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि मैं दिनांक 01.04.2021 से 12.04.2022 तक अपर जिला जज(त्वरित न्यायालय) कक्ष संख्या–3, के पद पर जनपद बुलन्दशहर में व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति के अनुसार स्थानान्तरित होकर दिनांक 15.04.2022 से 31.03.2022 तक तक अपर जिला जज/एफ0टी0सी0–द्वितीय के रूप में जनपद देवरिया में नियुक्त रहा। महोदय उक्त न्यायालय में कार्यरत रहने के दौरान COVID–19(कोरोना संक्रमण) का दौर कई बार काफी समय तक रहा जिस कारण सम्पूर्ण वर्ष में कई बार न्यायिक कार्यवाही बाधित रही और अपेक्षाकृत कम कार्य हुआ, फिर भी उक्त परिस्थितियों में भी मेरे द्वारा पूर्ण मनोयोग से न्यायिक कार्य किया गया और अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने का सम्पूर्ण प्रयास किया गया है। (जैसा कि मेरे स्व निर्धारण प्रपत्र वर्ष 2021–22 के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है।)

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा न्यायिक अधिकारियों के द्वारा न्यायिक कार्य के उपरान्त निर्धारित मानक (1200 यूनिट कोटा) को पूर्ण करते हुए मेरे द्वारा 1462.4 यूनिट कोटा दिया गया है, जिसका उल्लेख श्रीमान जनपद न्यायाधीश, देवरिया के द्वारा स्वतः अपनी टिप्पणी (remarks) के कॉलम संख्या–01(g) में किया गया है। इसके अलावा महोदय मेरे द्वारा सम्पूर्ण प्रयास के साथ न्यायालय की कई प्राचीनतम पत्रावलियों का भी निस्तारण किया गया है। साथ ही अन्य कई प्रकार के मामलों का भी निस्तारण करने का पूर्ण प्रयास मेरे द्वारा किया गया है।

माननीय महोदय से यह भी निवेदन करना है कि कभी भी मेरे किसी कार्य–व्यवहार, आचरण, सुचिता अथवा पारदर्शिता के संबंध में खराब अथवा अनुचित होने संबंधी कोई भी अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अथवा अन्यथा लिखित व मौखिक रूप से कोई सूचना आदि नहीं दी गयी और न ही कोई प्रतिकूल बात कभी कही गयी, जिसका कारण भी है कि, यह बात मेरे स्वयं के द्वारा एक न्यायिक अधिकारी की गरिमा, आचरण, कार्य–व्यवहार व न्यायाचार को स्वतः ध्यान में रखते हुए न्यायिक कार्य आदि सम्पादित किये गये हैं।

माननीय महोदय यह दुःख का विषय है कि उपरोक्तरूपेण कही गयी समस्त बातों व तथ्यों तथा मेरे स्व–आकलन प्रपत्रों के आधार पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय श्री रविनाथ जी के द्वारा अपने टिप्पणी (remarks) के कॉलम संख्या–2 में overall assessment of the merit of the officer के समक्ष मात्र "good" की श्रेणी में रखते हुए ऑकलन किया गया है और वार्षिक प्रविष्टि दी गयी है। महोदय मेरे द्वारा निर्धारित कार्य का मानक (quota) पूर्ण करने तथा न्यायिक कार्य, कार्य, व्यवहार तथा आचरण आदि को सही रखते हुए सम्पूर्ण वर्ष में कार्य किया गया है, फिर भी वार्षिक प्रविष्टि में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महादेय द्वारा मात्र "good" की श्रेणी में ऑकलन किया जाना मेरे स्वयं के समझ से परे है।

माननीय महोदय को ससम्मान यह भी अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इस सम्बंध में एक परिपत्र संख्या–**"No. C- 671/CF(B)/ 2021:Dated: Allahabad: July 17, 2021"** भी जारी करते हुए श्रीमान् जनपद न्यायाधीश व अन्य ऐसे प्राधिकारी जिनके द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि लिखी जानी हो, उन्हें इस संबंध में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वार्षिक प्रविष्टि दिये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

माननीय महोदय निवेदन करना है कि जनपद देवरिया में उक्त वर्ष में तैनाती के दौरान मेरे द्वारा सम्पूर्ण मनोयोग व प्रयास से कार्य करने व स्वयं के कार्य–व्यवहार, आचरण व न्यायाचार आदि को सही व उचित रखने के बावजूद भी मुझे मात्र "good" की वार्षिक प्रविष्टि दिये जाने से मेरे मनोबल को, मेरे आत्मविश्वास को व न्यायिक कार्य करने के प्रति मेरी निष्ठा व क्षमता को आघात पहुंचाता है तथा मुझ न्यायिक अधिकारी के उज्जवल भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

अतः माननीय न्यायमूर्ति महोदय से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वर्ष 2021–22 में श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, देवरिया श्री रविनाथ जी के द्वारा मुझे दी गयी वार्षिक प्रविष्टि overall assessment of the merit of the officer के कॉलम में लिखी गयी "good" की प्रविष्टि को उन्नयन (upgrade) करने की महती कृपा करें। प्रार्थी सम्पूर्ण जीवन आपका हृदय से आभारी रहेगा।

आदर सहित।

दिनांकः 22.07.2022

भवदीय

22/07/2022

(अशोक कुमार दुबे–II)
JO CODE- UP 1643
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0 द्वितीय, देवरिया।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश देवरिया
पत्रांक 989/XV दिनांक 22.07.2022 देवरिया
अग्रसारित
22.7.22
जनपद न्यायाधीश
देवरिया